दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 12-09-2025

शराब घोटाला

पूर्व आबकारी मंत्री लखमा को हाई कोर्ट से नहीं मिली जमानत

बिलासपुर | हाई कोर्ट ने पूर्व आबकारी मंत्री टुटेजा लखमा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। लखमा पर शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि गंभीर आर्थिक अपराध हैं और जांच अभी जारी है। लखमा को 15 जनवरी 2025 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। वर्तमान में वे सेंट्रल जेल रायपुर में बंद हैं। आरोप है कि 2019 से 2023 तक उन्होंने एफएल-10ए लाइसेंस नीति लागू की, जिससे अवैध शराब व्यापार को बढ़ावा मिला। ईडी का दावा है कि शराब सिंडिकेट से लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपए मिलते थे, कुल 72 करोड़ उन्हें मिले। लखमा ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। तर्क दिया कि राजनीतिक साजिश है। आरोप सह अभियुक्तों के बयानों पर आधारित हैं, कोई ठोस सबूत नहीं। चाहिए। वहीं, ईडी की तरफ से विरोध करते हुए कहा गया कि उनकी प्रमुख भूमिका रही है। जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है।